उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 4/2018/375/एक-1-2018-20(10)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 09 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 70 के उपनियम (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 69 की उपधारा (2) और (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि-

(क) प्रत्येक तहसील हेतु एक समेकित गांव निधि भी स्थापित की जायेगी;

(ख) गांव निधि की पच्चीस प्रतिशत धनराशि, समेकित जिला गांव निधि में जमा की जायेगी और समेकित जिला गांव निधि में जमा की गयी गांव निधि की धनराशि में से साठ प्रतिशत धनराशि समेकित तहसील गांव निधि में जमा की जायेगी और चालीस प्रतिशत धनराशि समेकित जिला गांव निधि में अवशेष रहेगी;

(ग) धारा 68 की उपधारा(1) के परन्तुक के अधीन प्राप्त धनराशि में से पचास प्रतिशत धनराशि समेकित तहसील गांव निधि में जमा की जायेगी तथा पचास प्रतिशत धनराशि समेकित जिला गांव निधि में अवशेष रहेगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 4/2018/**375/एक-**1-**2018-20(10)/2016, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, 96, महात्मा गॉधी मार्ग, इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित कर 500 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(जय प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN
RAJASWA ANUBHAG-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 375 /1-1-2017-20(10)/2016 dated: Lucknow, 09 April, 2018.

Notification

No. 04/2018/ 375 /1-1-2017-20(10)/2016
Lucknow, Dated 09 April, 2018.

In exercise of the powers confered under sub-sections (2) and (5) of section 69 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) read with sub rule (2) of rule 70 of the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016, the Governor is pleased to direct that:-

a) A Consolidated Gaon Fund shall be established also for each Tehsil.
b) Twenty five percent amount of the gaon fund shall be deposited in Consolidated District Gaon Fund and out of the amount of gaon fund deposited in Consolidated District Gaon Fund, sixty percent shall be deposited in Consolidated Tehsil Gaon Fund and 40 percent shall remain in the Consolidated District Gaon Fund.
c) Out of amount received under the proviso to sub section (1) of section 68, fifty percent shall be deposited in the Consolidated Tehsil Gaon Fund and fifty percent remain in Consolidated District Gaon Fund.

By order of the Governor

Suresh Chandra
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।